

# EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 33] No. 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2015/पौष 26, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2015/PAUSA 26, 1936

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2015

सा.का.नि. **35 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2015 है
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नागरिकता नियम, 2009 में,—
  - (क) नियम 8 में .-
    - (i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
    - "(ग) वह आवेदन करने की तारीख को कम से कम बारह मास की अवधि के लिए भारत में मामूली तौर से निवासी है; और";
    - (ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"परंतु खंड (ग) में निर्दिष्ट बारह मास की अवधि को विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा (1क)के अधीन शिथिल किया जा सकेगा ।";

- (ख) नियम 9 में
- (i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

229 GI/2015 (1)

- "(ग) वह कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विदेशी भारतीय कार्डधारक है और आवेदन करने की तारीख को बारह मास की अवधि के लिए मामूली तौर से भारत में निवासी है ; और ";
  - (ii) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"परंतु खंड (ग) में निर्दिष्ट बारह मास की अवधि को विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा (1क)के अधीन शिथिल किया जा सकेगा।":

- (ग) नियम 30 का लोप किया जाएगा;
- (घ) नियम 31 में,-
  - (i) " यथास्थिति, नियम 29 या नियम 30" शब्दों और अंकों के स्थान पर " नियम 29" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
  - (ii) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् :
    - "(क) भारत में
      - (i) विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) को जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए : या
      - (ii) गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को ; " ;
- (इ.) नियम 32 में उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1क) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में जो भारत के नागरिक का विदेशी मूल का पित या पत्नी है, ऐसे व्यक्ति का विदेशी भारतीय कार्डधारक का विदेशी मूल का पित या पत्नी है, ऐसे व्यक्ति का विदेशी भारतीय कार्डधारक के रूप में रिजस्ट्रीकरण भारत में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सुरक्षा निकासी जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क की उपधारा (1) के उक्त खंड (घ) में उपबंधित है के अधीन होगा।";

- (च) नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--
- "34. भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड के त्यजन की घोषणा—(1) धारा 7ग के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के कार्ड के त्यजन की घोषणा प्ररूप 31 में की जाएगी, जिसके साथ भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट या गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा, जो उसे उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे, जिसने उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है।
- (2) भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक को रजिस्ट्रीकरण करने वाले ऐसे कार्ड के त्यजन की घोषणा के प्राप्त होने पर निर्गम प्राधिकारी प्ररूप 32 में एक अभिस्वीकृति जारी करेगा और घोषणाकर्ता के नाम को भारत के विदेशी नागरिक के रजिस्टर से हटा देगा।";
- (छ) प्ररूप 6 में, भाग 1 में, क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टयां रखी जाएंगी, अर्थात् :--
  - "6 भारत में निवास के ब्यौरे:

(क) भारत मे प्रवेश की तारीख	
(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व 12 मास की कालावधि के लिए भारत में लगातार निवास किया है	हां/नहीं

पिछले पांच वर्ष के दौरान भारत में निवास के ब्यौरे :

क्र.सं.	भारत में निवास के पते के साथ ब्यौरे	से	तक	वर्ष/मास
1.	2.	3.	4.	5.

- (ज) प्ररूप 7 में, भाग 1 में, क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टयां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- "6. भारत में निवास के ब्यौरे :

(क) भारत मे प्रवेश की तारीख	
(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व 12 मास की कालावधि के लिए भारत में लगातार निवास किया है	हां/नहीं

भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पिछले पांच वर्ष के दौरान भारत में निवास के ब्यौरे :

क्र.सं.	भारत में निवास के पते के साथ ब्यौरे	से	तक	वर्ष/मास
1.	2.	3.	4.	5.

- (झ) प्ररूप 28 में,—
- (i) "नियम 29(1) और नियम 30 देखें" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 29(1) देखें" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (ii) भाग 1 में, "पहले आवेदक के ब्यौरे" , "आवेदक पति-पत्नी के ब्यौर" और "अप्राप्तवय बालक के ब्यौरे- 1 आवेदक के ब्यौरे और "अप्राप्तवय बालक के ब्यौरे- 2 आवेदक के ब्यौरे" , 'क्रम सं0 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) भाग ख में,—
- (क) क्रम सं0 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"14. क्या आवेदक(कों) (अप्राप्तवय बालक/बालकों से भिन्न)	हां/नहीं
सशस्त्र बलों/पुलिस/अर्धसैनिक/सुरक्षा/असूचना संगठनों में कार्य	
किया है/कार्य कर रहा है ?	
यदि हां, तो विनिर्दिष्ट ब्यौरे दें ।";	

(ख) क्रम सं0 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

"17(क) क्या आवेदक कभी या किसी भी समय	हां/नहीं
पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था ?	
यदि हां, तो विनिर्दिष्ट ब्यौरे दें।";	

(ख) क्या आवेदक के माता-पिता या पितामह-पितामही	हां/नहीं
या महापितामह- महपितामही कभी या किसी भी समय	
पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रही थी ?	
यदि हां, तो विशिष्ट ब्यौरे दें ।";	

(ञ) प्ररूप 31 में, शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात :--

"नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ग(1) के अधीन भारत का विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के कार्ड के त्यजन की घोषणा":

- (ट) अनुसूची 4 में, फीस की सारणी में, क्रम सं. 12 और क्रम सं0 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ठ) संपूर्ण नागरिकता नियम, 2009 में, "भारत की विदेशी नागरिकता", "भारत का विदेशी नागरिक" या "विदेशी नागरिक" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: ''भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारक" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 26011/01/01/2014-आईसी-1]

जी के द्विवेदी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2015

**G.S.R. 35(E).**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Citizenship Rules, 2009, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Citizenship Rules, 2009, -
  - (a) in rule 8,-
    - (i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
      - "(c) he is ordinarily resident in India for a period of at least twelve months on the date of making application; and";
    - (ii) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:-
      - "Provided that the period of twelve months referred to in clause (c) may, under special circumstances, be relaxed by the Central Government under sub-section (1A) of section 5 of the Citizenship Act, 1955.";
  - (b) in rule 9,—
    - (i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

- "(c) he has been an Overseas Citizen of India cardholder for a period of at least five years and is ordinarily resident in India for a period of twelve months on the date of making application; and";
- (ii) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the period of twelve months referred to in clause (c) may, under special circumstances, be relaxed by the Central Government under sub-section (1A) of section 5 of the Citizenship Act, 1955.";

- (c) rule 30 shall be omitted;
- (d) in rule 31,-
  - (i) the words and figures "or as the case may be, rule 30" shall be omitted;
  - (ii) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(a) in India -
      - (i) to the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) as may be specified by the Central Government; or
      - (ii) to the Foreigners Division, Ministry of Home Affairs;";
- (e) in rule 32, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:
  - "(1A) In the case of a person referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 7A of the Citizenship Act, 1955, who is a spouse of foreign origin of a citizen of India or a spouse of foreign origin of an Overseas Citizen of India cardholder, the registration as an Overseas Citizen of India cardholder of such person shall be subject to prior security clearance from a competent authority in India as provided under the said clause (d) of sub-section (1) of section 7A of the Citizenship Act, 1955.";
- (f) for rule 34, the following rule shall be substituted, namely:—"34. Declaration of renunciation of Overseas Citizen of India card.- (1) A declaration of renunciation of the card registering a person as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7C shall be made in Form XXXI, accompanied with the original certificate of registration of Overseas Citizen of India cardholder, to the concerned Indian Mission or Post or the Ministry of Home Affairs, Government of India, who in turn, shall forward the same to the authority which issued the said certificate of registration.
  - (2) On receipt of the declaration of renunciation of the card registering as an Overseas Citizen of India cardholder, the issuing authority shall issue an acknowledgement in Form XXXII and remove the name of the declarant from the register of Overseas Citizen of India cardholder.";
- (g) in **FORM VI**, in **PART I**, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "6. Details of residence in India:

(b) I have resided in India continuously Yes/No for a period of 12 months immediately preceding the date of application

Details of residence in India for the last five years:

S.No.	Details with address of residence in India	From	То	Years Months
1	2	3	4	5

(h) in **FORM VII**, in **PART I**, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

"6. Details of residence in India:

(a) Date of entry in India .....

(b) I have resided in India continuously Yes/ No for a period of 12 months immediately preceding the date of application

Details of residence in India for the last five years after registration as Overseas Citizen of India cardholder:

S.No.	Details with address of residence in India	From	То	Years Months
1	2	3	4	5

";

#### (i) in Form **XXVIII**,-

- (i) for the words, figures and brackets "See rule 29(1) and 30", the words, figures and brackets "See rule 29(1)" shall be substituted;
- (ii) in PART A, under the headings "First Applicant Details", "Spouse Applicant Details", "Minor child -1 Applicant Details" and "Minor child -2 Applicant Details", serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) in Part B, -
  - (A) before serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-
    - "14. Whether the applicant(s) (other than the minor child/ children) has worked/ is working in Armed Forces/ Police/ Para-military/ security/intelligence organizations?

Yes/No

If yes, give specific details.";

- (B) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-
  - "17 (a) Whether the applicant(s) had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh at any time?

Yes/No

If yes, give specific details.

(b) Whether either of the parents or grandparents or great grandparents of the applicant(s) had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh at any time?

Yes/No

If yes, give specific details";

(j) in Form XXXI, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:

"DECLARATION OF RENUNCIATION OF THE CARD REGISTERING AS AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER UNDER SECTION 7C (1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER";

- (k) in SCHEDULE IV, in the **TABLE OF FEES**, serial numbers 12 and 13 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (1) throughout the Citizenship Rules, 2009, for the words "overseas citizenship of India", "overseas citizen of India" or "overseas citizen" wherever they occur, the words "Overseas Citizen of India cardholder" shall respectively be substituted.

[F. No. 26011/01/2014-IC.I] G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 25th February, 2009.